न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2012 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री खेमजी पिता गंगजी भील निवासी कून्डा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मावजी पिता मानजी भील निवासी कून्डा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री हमजी पिता मानजी भील निवासी कून्डा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती ईटली बेवा मानजी भील निवासी कून्डा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा **(मृतक का नाम तर्क किया गया)**
4. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार बागीदौरा जिला बंसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बागीदौरा दिनांक 30–03–2012 प्रकरण
सांख्या 10/2014 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1, 2
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4

————————————

निर्णय **दिनांक 21–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन

किया कि पक्षकारान की संयुक्त स्वामित्व की वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात कूल किता–18 रकब 63 बीघा 3 बिस्वा भूमि ग्राम घोड़िया में होकर वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाया जाकर उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय। प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमियों में वादी का कोई हक अधिकार नहीं है। भूमियां मानजी की स्व–अर्जित भूमियां है। वादी ने प्रतिवादी की बिना जानकारी कूट–रचित सहमति पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम प्रविष्ठ करवा दिया है। जिसका नाम हटाया जाकर विभाजन का वाद खारिज किया जाय। प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम पेश कर खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की भी मांगी की। काउण्टर क्लेम का जवाब वादी द्वारा खण्डन का पेश किया गया।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. *क्या मौजा घोडिया प0 मं0 सालिया की भूमि ख0सं0 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 277/8, 278/11, 283/3, कूल खेत–18 रकबा 63 बीघा 3 बिस्वा वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज है?* .....वादी
2. *क्या वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता मानजी की स्वयं अर्जित सम्पत्ति होकर प्रतिवादीगण की काश्त में है?* ..... प्रतिवादी
3. *क्या वादग्रस्त भूमि वादी ने प्रतिवादीगण की जानकारी के बिना राजस्व कर्मचारियों से मिलकर फर्जी एवं कूट रचित सहमति पत्र तैयार कर विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम की प्रविष्ठि राजस्व अभिलेख में करवा ली ?* ..... प्रतिवादी
4. *क्या वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम जो इन्द्राज दर्ज करवाये है वे कूट रचित होने से रेकार्ड से वादी का नाम हटाया जा सकता है?* ..... प्रतिवादी
5. *क्या वादग्रस्त भूमि में वादी, प्रतिवादीगण की शान्तिपूर्ण काश्त में हस्तक्षेप करते है?* ..... प्रतिवादी

6. क्या वादग्रस्त भूमि में जो इन्द्राज वादी के नाम हुए है वे विधि के प्रावधान अनुसार है। ..... *प्रतिवादी*

7. दादरसी

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पेश करवाये गये उपलब्ध साक्ष्यों, सबूतों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–3–2012 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–4–2012 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी ने उस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 का नाम मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 16–2–2018 को तर्क किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा धारा–88 के तहत भूमि के मोरूषी होने से वादी का नाम सह–खातेदारी में जोड़ा गया है, वादी का मौके पर कब्जा है, भूमियां मोरूषी होना प्रमाणित है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पकट आया कि प्रकरण में अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वादी का नाम खाते में प्रतिवादी की सहमति के बिना जोड़ा गया है। आश्चर्यजनक रूप से वादी रेकार्डेड सह–खातेदार है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध काउण्टर क्लेम पेश कर वादी का नाम हटाये जाने का

आवेदन भी पेश किया है, परन्तु उक्त विभाजन वाद खारिज किया गया है। वाप्तु प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। अपीलान्ट वादी द्वारा इस न्यायालय में सन् 1945–46 की जमाबन्दी की प्रमाणित नकल भी पेश की है जिसमें विवादित आराजीयात बिजिया के समय से होना प्रकट आता है।

उपरोक्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आधा–अधुरा निर्णय किया है। रेकार्डेड सह–खातेदार को अंकित रखते हुए विभाजन को निषेध किया है परन्तु काउण्टर क्लेम में उसका नाम हटाने के प्रतिदावे पर कोई प्रभावी निर्णय नहीं किया है। इस स्थिति में वादकरण अनिर्णित ही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–3–2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में वाद व काउण्टर क्लेम के सन्दर्भ में उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर वाद व काउण्टर क्लेम दोनों पर तनकीवार सुस्पष्ट विधिक निर्णय पारित कर वादकरण का नातिक निस्तारण करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–4–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर